बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि ३ जुलाई १९५२.

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ३ जुलाई १९५२ को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्पसूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

IRRIGATIONAL FACILITIES FOR VILLAGE BHADRASHILA, P. S., SASARAM.

28. SHRI JAGANNATH SINGH: Will the Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a scheme for doing earth-work on a tank in village Bhadrashila, Police-station Sasaram was passed by the Sasaram Subdivisional Agricultural Advisory Committee, a few months back;

(b) whether it is a fact that the village falls in the Intensive Block Area and the tank affords irrigational facilities to the land all around;

(c) whether it is a fact that the villagers had de-watered the tank earlier with a view to get the earth-work done before the rains;

(d) if answers to clauses (a) to (c) be in the affirmative, whether Government propose to take action for getting the work done before the rains in the interest of increasing food production?

SHRI ANUGRAH NARAYAN SINHA: (a) The Scheme for doing earth-work on a tank of Bhadrashila under Minor Irrigation scheme was passed by the Irrigation Advisory Committee, was sanctioned on 5th April, 1952 without investigation. Later it was investigated and again put up in the meeting of the Agricultural Advisory Committee. After discussion it was found that the cost of scheme was very high and therefore the scheme was dropped.

(b) Reply to first part of the question is in the affirmative. As regards the second part of the question some lands in the vicinity of the tank could be irrigated, but the cost would have been much higher and not in proportion to the area irrigated.

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार लैन्ड एनक्रोचमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२।
[१९५२ का वि० सं० ८]

THE BIHAR LAND ENCROACHMENT (AMENDMENT) BILL, 1952—(contd).
[L. A. BILL No. 8 OF 1952.]

श्री रामानन्द उपाध्याय*—अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में बिहार लैन्ड एनक्रोचमेन्ट बिल पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण बोल गये और इसमें इम्प्रूवमेन्ट लाने के लिये उन्होंने सारगर्भित व्याख्यान दिया। लेकिन इस बिल का अधिक सरोकार ग्रामीण भाइयों से है।

बिल में संशोधन करने के लिये हमारे दोस्त श्री नन्दकिशोर नारायण लाल ने प्रस्ताव पेश किया है और इसके विरोध में श्री रामनारायण चौधरी ने अपना विरोध प्रकट किया है। इन दोनों के बीच में रह कर हमको देखना है और अपना सुझाव पेश करना है। हमलोगों को यह नहीं ख्याल करना चाहिये कि विरोधी-दल के लोग जो कुछ कहें उसके विरोध में हम जरूर बोलें। इसी तरह हमारे विरोधी-दल के भाइयों को भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हमलोग जो अधिक संख्या में हैं, इनके खिलाफ बोलें। हमलोगों को जनता की भलाई की बात सोचनी चाहिए। इसी ख्याल से मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूँ।

आज बड़ी खुशी की बात है कि हम राजस्व मंत्री की कृपा से जमीन्दारों के चंगुल से निकल गये लेकिन ग्रामवासियों के पंजे में हम इस तरह फँसे हुए हैं कि इनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। हमलोगों को ग्रामसुधार के लिये अभी बहुत कुछ करना है। आज हमलोग गाँव का रास्ता, गैरमजरूआ-आम जमीन, चौर, मवेशियों का चरागाह, इन तमाम चीजों की दशा देखते हैं तो हमारा हृदय काँप उठता है। कुछ लोगों ने जमीन्दारों को नजराना देकर ऐसी जमीन की बंदोवस्ती ले ली है और ऐसा होता है कि वे लाठी चलाने और कानून से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि महात्मा गांधीजी के विचार को सामने रख कर हमलोगों को ऐसा कानून बनाना चाहिये जो सीधा-साधा

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

हो। वृटिश सरकार के वक्त में कानून का झंखार आया, कचहरियाँ बढ़ीं, लेकिन अब तो हमलोगों को आगे चलकर ऐसा करना है कि हमारा सारा काम पंचायत के जरिए हो। खून, डकैती, चोरी या जो भी इस तरह के वाकयात हो उनके मुत्तल्लिक हम साफ कह देना चाहते हैं, कि गाँव के रहनेवाले पंच, ५,००० रुपये मुशाहरा पाने वाले जज से अच्छा फैसला करेंगे। इसलिए बिल में संशोधन करने के लिए जो सेलेक्ट कमिटी है उससे मैं प्रार्थना करूँगा कि आप कुछ उच्च ख्याल के मेम्बर को भी रख लें।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। प्रस्ताव में यह बात नहीं है।

श्री रामानन्द उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं मनमानी बात करना नहीं चाहता। मैं ऐसे रास्ते पर चलना चाहता हूँ कि कानून की झंखार में नहीं पड़ूँ।

हमलोगों को सीधा-साधा कानून बनाना चाहिए जिससे लोगों को लड़ने का मौका न मिले और पंचायत के हाथ से फैसला हो।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि उन्होंने जानबूझ कर कानून बनाने का बोझ अपने ऊपर लिया है। जब वे सदस्य बने हैं तो भागने से काम नहीं चलेगा।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो संशोधन हम लोग करें उसे ठीक से करें जिससे मुकदमे बाजी नहीं हो।

अध्यक्ष—आप यह भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहते तो संशोधन दे सकते थे, या अब इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मैं इस संशोधन का विरोध कैसे करूँ। मगर कुछ अपना सुझाव देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—सुझाव नहीं, आप राय दे सकते हैं।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मैं यह कहना चाहता हूँ कि गैरमजरुआ आम जमीन जो बन्दोबस्त कर दी गई है इससे रास्ता बन्द हो गया है। ऐसी जमीन पर और मुर्दा फेंकने की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं हो।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आपने ठीक से शायद समझा नहीं है कि आपको क्या कहना है। एक ही माननीय सदस्य के साथ ऐसी बात नहीं है। जो सदस्य यह नहीं समझेंगे कि उन्हें क्या कहना है, उनकी यही हालत होगी। यानी विधेयक

को ठीक से पढ़ा नहीं, जो संशोधन है उसको समझा नहीं और बोलने के लिए खड़े हो गए। अगर कुछ विशेष कहना नहीं है तो श्री रामानन्द उपाध्याय कृपा कर बैठ जायँ। उन्हें वोट देने का अधिकार है।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मैं तो अपना विचार प्रगट करना चाहता हूँ कि सेलेक्ट कमिटी में नये ख्याल के लोग रखे जायँ।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। जो संशोधन है उस पर आपको बोलना नहीं है तो बैठ जायँ।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर हमारे दोस्त श्री नन्दकिशोर नारायण लाल ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि इस बिल को फिर से उसी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, मैं उसकी मुखालफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल के संबंध में जो कानूनी अड़चनें पेश हुई हैं उनके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। मैं सरदार हरिहर सिंह के समान उन चन्द खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कोर्ट में वकील के रूप में कभी नहीं गए हैं। इसलिए मैं कानूनी अड़चनों में न जाकर इस बिल के मकसद और पालिसी के संबंध में हमारे दोस्त का जो एतराज है उनके संबंध में कुछ कहूँगा। शुरू में मैं भी उन लोगों में था जो यह चाहते थे कि जिस रूप में यह बिल है उस रूप में इसे नहीं पास करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादातर गरीब लोग परेशान होंगे लेकिन कुछ सोचने और समझने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि इस बिल को इसी रूप में जल्द पास करना चाहिए। इससे एक सवाल यह पैदा होता है कि जमीन की बन्दोवस्ती में जिन जमींदारों ने रुपया लिया उनसे उसे वापस दिलाया जाय। इस पहलू पर जब मैं ने सोचा और देखा कि जमींदारी प्रथा तो खतम हो रही है और जब जमींदारी को सरकार अपने कब्जे में ले रही है है तो शायद इस रुपये को वापस करने की जवाबदेही सरकार पर आ सकती है। ऐसी बात होगी तो जमींदारी उन्मूलन में कुछ और अड़चन पैदा हो सकती है और उसमें और देरी हो सकती है। इस नजर से देखने से यही मालूम पड़ता है कि इसे इसी रूप में पास किया जाय। प्रवर समिति में इस पर काफी विचार हुआ और सब बातों को सोच समझ कर इस बिल को इस सदन के सामने लाया गया है। हमारे प्रस्तावक महाशय भी इस समिति के सदस्य थे और प्रवर समिति में जिन बातों को उन्होंने उठाया था और जिन्हें अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में लिखा है उन्हीं के आधार पर इस

प्रस्ताव को पेश किया है। इसलिए फिर उसी प्रवर समिति में इस बिल के जाने से इसका दूसरा रूप नहीं होनेवाला है। इसलिए इस प्रवर समिति में इसे फिर से भेजने से कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष—आप भी तो इस प्रवर समिति के सदस्य थे ?

श्री राम लखन सिंह यादव—मैं प्रवर समिति के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। जो बात हमारे दोस्त ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में कही है वह कोई नयी नहीं है और प्रवर समिति में उस पर विचार हो चुका है इसलिए मैं अपने दोस्त से आग्रह करूँगा कि वे अपने प्रस्ताव को उठा लें तो ज्यादा अच्छा हो। जिस रूप में यह बिल सभा के सामने आया है उसी रूप में या कोई जरूरी संशोधन हो तो उसके साथ इसे पास किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री नन्दकिशोर नारायण लाल के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री नन्द किशोर नारायण लाल ने हाउस के सामने रखा है उसके सम्बन्ध में जो बहस हुई है और उसपर जो बातें उठाई गई हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। सरदार हरिहर सिंह जी ने कहा कि जिन लोगों ने जमीन बन्दोवस्त ली है उनको आप क्यों सजा देते हैं ? आप जमीन्दारों को सजा क्यों नहीं देते हैं ? हमारे सामने सवाल यह है कि हम जमींदारों को इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार हम कर सकते हैं उनको जिनके पास जमीन है। इसलिए जिन्होंने बन्दोवस्ती ली है उनको उस जमींन से हटना है। आप कहेंगे कि इसमें बहुत से गरीब हरिजन पिस जायेंगे। अगर कुछ गरीब पिस जाते हैं तो यह उनका कसूर है। यह अनऑथोराइज्ड सेट्लमेंट बहुत दिनों से नहीं हुआ है। जब जमीन्दारी उन्मूलन की बात चली, आज ४ या ५ वर्ष से, उसी समय से यह बन्दोवस्ती सबको मिली है। लैंड रिफोर्म्स ऐक्ट में इस तरह का प्रोविजन है और कलक्टर को अधिकार दिया गया है कि ऐसी बन्दोवस्ती को नाजायज करार दे दे।

श्री प्रभुनाथ सिंह—आप उसी कानून को लागू कीजिए। पुरानी बन्दोवस्ती को आप क्यों ले रहे हैं ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—मेरी नीयत यही है कि इसके बाद जो बन्दोवस्ती हुई है उसको नाजायज करार दे दिया जाय। मगर बात यह है कि

जमींदारों ने बहुत-सी पुरानी रसीद काट दी है तो इसका क्या उपाय है। इसलिए जो पब्लिक प्रोपर्टी है, गैरमजरूआ आम जमीन है, चरागाह है, तालाब है, ऐसी जमीन की अगर बन्दोबस्ती की गयी है तो उसको नाजायज करार देना जरूरी है।

श्री धनराज शर्मा—अब तो जितनी रसीद जमीन्दारों को दी जाती है उन पर कलक्टर साहेब का दस्तखत होता है। इसी कारण से तो अब जितनी रसीद दी जाती है उस पर कलक्टर की मोहर होती है तो फिर गड़बड़ी कैसे हो सकती है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—आप का इनफोर्मेशन गलत है। सिर्फ मालगुजारी की रसीद पर कलक्टर साहब की मोहर होती है। आपका मतलब रेवेन्यू रसीद से है। यह बन्दोबस्ती की बात दूसरी है। चूंकि इस तरह की बन्दोबस्ती इधर हुई है। इसलिए सिर्फ उसी चीज को सेट एसाइड किया जायगा।

श्री धनराज शर्मा—क्या यह बन्दोबस्ती रेंट फ्री होती है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)--आप जमीन्दार की बात करते हैं। मुझे आश्चर्य मालूम होता है कि फॉरवार्ड ब्लॉक में रह कर इस तरह की बात क्यों करते हैं ?

श्री धनराज शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि कितनी जमीन गैर-मजरूआ आम की बन्दोबस्ती हुई है और कितने किसान या मजदूर जिनके हाथ यह बन्दोबस्ती हुई है एफेक्टटेड हुए हैं ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—मेरे दोस्त जानते हैं कि सरकार के पास जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें कितनी बन्दोबस्ती हुई है यह दिया हुआ नहीं है। यह तो आप अखबारों में देख सकते हैं, खास करके हिन्दी अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पटना, तिरहुत और भागलपुर डिवीजनों में जो जमीन्दारियां हैं वहां ऐसी बन्दोबस्ती बहुत हुई है।

तो मैं कह रहा था कि जिस किसान, मजदूर या हरिजन ने जानबूझ कर गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती ली है उसे तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। इसमें सरकार का कसूर नहीं है।

दूसरी बात जो श्री विश्वनाथ मिश्र ने कही है कि जो कानून आप बना रहे हैं वह कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन ३१ से मिलिटेट करेगा। मैं उनके ऐसा मशहूर और काबिल वकील तो नहीं हूँ मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस जमीन्दारी उन्मूलन में मैंने एक क्लाएंट की तरह काम किया है और इससे मेरी इतनी जानकारी हो गयी

है कि जो चीज फौर पब्लिक पर्पसेज हैं वह इस सेक्शन ३१ में अप्लाई नहीं करेगा। अगर सेक्शन ३१ ऐसी बन्दोवस्ती में अप्लाई करेगा तो आप टिनेंसी ऐक्ट के मुताविक कोई कानून नहीं बना सकते हैं। आपको मालूम है कि हाल ही में मैंने विहार टिनेंसी ऐक्ट को ऐमेंड करके जमीन्दारों को वैलुएवुल राइट्स इन ट्रीज को रद्द कर दिया है और रैयती जमीन में जो पेड़ हैं उनका हक रैयतों को दे दिया है। आप जानते हैं कि यह कानून गैर-कानूनी नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा तो हरिजन, ट्राइवल्स ऑर वैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गरीब-गरीब ही रहेंगे और अमीर-अमीर ही रहेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह—मैं समझता हूँ कि विहार टिनेंसी ऐक्ट का एमेंडमेंट, कंस्टिच्यूशन को लागू होने के पहले का है।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—कंस्टिच्यूशन की वात यह है कि अगर कोई कानून कंस्टिच्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ होगा तो रद्द हो जायगा। ऐसे तो बहुत सा कानून अल्ट्रा-वायर्स हो जाता है। आर्टिकल ३१ गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए है। यहाँ पर पब्लिक पर्पसेज को बात नहीं है। यहाँ सेक्शन ३१ लागू नहीं है। दूसरी वात यह है कि जो गैर-मजरुआ आम जमीन सरकार लेगी वह गैर-मजरुआ आम ही रहेगी। सरकार की जमीन नहीं होगी। मुर्दघाटी, कब्रिस्तान, गोचर वगैरह का हक वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। इसलिए इसमें सेक्शन ३१ एप्लाई नहीं करता।

दूसरी वात हमारे दोस्त ने कही है कि लिमिटेशन को उल्लंघन करते हैं। वात ठीक है। लेकिन इसी की वजह से हमको यह बिल प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। जब प्रेसिडेंट की मंजूरी हो जायगी तब यह विल काम में आयगा। नहीं तो नहीं। दूसरे कानून से संघर्ष होने से भी जायज होगा। प्रेसिडेंट तीसरा लेजिस्लेचर का काम करते हैं। एक बार प्रेसिडेंट के मंजूरी दे देने के बाद सभी कानून के ऊपर से वह कानून लागू हो जाता है। कंस्टिच्यूशनल पोजिशन यही है। मैंने इसे साफ करने की कोशिश की।

एक वात और.........

श्री गजेन्द्र नारायण सिंह—मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी और लोकल बडीज की जमीन के बारे में जो ६० इयर्स और ३० इयर्स का लिमिटेशन है उसको क्यों नहीं हटाते हैं?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—कोई खास सेक्शन बताइयेगा तब मैं बता सकता हूँ। मैं कह रहा था कि श्री जगन्नाथ सिंह ने यह कहा है कि—

MR. SPEAKER : In clause 2(*a*) it is said that the land in possession of Government or any local authorities which is recorded in the Record of Rights as Government land etc. This amending Bill does not refer to sub-clauses (*a*) (*b*) and (*c*). Therefore the concession that the Law of Limitation would not apply to clauses (*a*), (*b*) and (*c*). This is the point which he wants to refer.

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—इस बात का जवाब हम पीछे देंगे। इससे गवर्नमेंट को खास नफा नहीं होता है।

अध्यक्ष—इनके कहने का मतलब यह है कि सरकार के कब्जे में जो जमीन है, जो रैयत को दी गयी है उसको आप छूते नहीं हैं। लेकिन जिसकी १२ वर्ष की तामादी है उसको सरकार ले लेना चाहती है और जिसकी ३० वर्ष की और ६० वर्ष की तामादी है उसको आप छूना नहीं चाहते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—इसका जवाब सोच कर मैं पीछे दूंगा। एक बात और है। सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट आई है। श्री जगन्नाथ सिंह का कहना है कलक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया है कि कलक्टर के पावर को कम कर दिया जाय और "विथ दी एप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट" जोड़ दिया जाय। अगर इस पर कोई संशोधन पेश किया जाय तो उस संशोधन को मानने के लिए हम तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि जिन वजहों से इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमिटी में भेजना श्री नन्दकिशोर नारायण चाहते थे उन सब बातों का जवाब मैंने दे दिया।

श्री नन्द किशोर नारायण*—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हाउस का ध्यान इस बिल की ओर गया और सभी तरह का विचार इस संबंध में आया। सब से पहले श्री कुमार ने यह कहा कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा कहा है। मैं उनको कहता हूँ कि किसी देहात में वे हमारे साथ चलें और मैं उनको दिखलाउँगा कि बड़े-बड़े जमीन्दार लोग बिना बन्दोवस्ती वो बिना रसीद के जमीन रखे हुए हैं। उनको आप हटा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हरिजनों ने रुपया दे कर जो जमीन ली है वह छीन ली जायगी, क्योंकि जमीन्दार लोगों ने उनको रसीद नहीं दी है।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

हमारी नीयत साफ है। मैं कोई वकील नहीं हूँ लेकिन मैं कौमन सेंस से बात करता हूँ। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि उन गरीब हरिजनों की क्या हालत होगी जिन्होंने बेतिया की जमीन ली है ? जमींदारों का हौवा खड़ा कर आप गरीबों का गला घोंट रहे हैं। हमारे दोस्त श्री रामनारायण चौधरी जी भले ही सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हों लेकिन किसानों की क्या तकलीफ है उसे हम उनसे कम नहीं जानते। देखना यह है कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं उससे गरीबों को फायदा होगा या नुकसान। आपने मनी लेंडर्स एमेंडमेंट बिल लाया। आपने उसे पास भी नहीं किया लेकिन उसका बुरा असर बाजार पर पड़ गया। मैंने उस समय कहा था कि आप पहले कर्ज देने का इन्तजाम करें और तब यह कानून लावें। आप यदि रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज से फिगर्स मांगे तो आप को मालूम होगा कि रेहन का काम एक दम बन्द हो गया है और अब लोगों को विवश होकर अपनी जमीन वो मकान सस्ती दर पर बय कर देना पड़ता है। मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस का फिगर है जिससे पता चलता है कि पिछले ६ महीनों में एक भी रेहन नहीं हुआ और ३३६ बय का कागज रजिस्ट्री किया गया। आपके करने का मकसद कुछ रहता है लेकिन असर उलटा होता है।

मुझे राजस्व मंत्री की नीयत पर शक नहीं है। १९४९ से आज तक आपने ऐसे-ऐसे कानून बनाये हैं जिनसे किसानों को काफी लाभ हुआ है। परन्तु कोई कानून पास करने के पहले उसके रिपर्कसन्स को देख लेना चाहिये। आप जानते हैं कि हथुआ के पिछले कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने गैर-मजरूआ आम जमीन को बन्दोवस्त किया है और २०-२५ वर्षों से रैयतों को रसीद मिलती आ रही है। जिसने जायज तरीके से चीज ली है उस पर इस कानून का इम्प्लिकेशन क्या होगा, यह सोचना होगा।

मैंने पहले ही कहा कि मैं वकील नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है पटना हाई कोर्ट की यह रूलिंग है कि गैरमजरूआ आम जमीन को मालिक बन्दोवस्त कर सकता है केवल यही शर्त है कि ऐसा करने से पब्लिक को जो राइट ऑफ ईजमेंट है वह जस का तस रह जायगा।

अध्यक्ष—स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एंड रीजन्स से मालूम पड़ता है कि लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट की नीति के मुताबिक सब जमीन पर कलक्टर दखल कर सकता है। लेकिन अन्‌औथोराइज्डली लफ्ज है इसलिये वह रसीद दिखाएगा, एभिडेंस प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद कहेगा कि हमको औथोरिटी थी। इसीलिये इसको रिमूभ करने के लिये माननीय मंत्री को चिन्ता है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—सेक्शन (११) के मुताबिक आपने सेफ-गार्ड छीन लिया। आप कोई लिमिटेशन को भी नहीं मानना चाहते हैं। लोकल वडीज का जो ३० वर्ष का लिमिटेशन है या गवर्नमेंट का ६० वर्ष का लिमिटेशन है उसको भी नहीं मानते हैं। १२ वर्ष को भी नहीं मानते हैं। लैंड रिफौर्म्स ऐक्ट में आपने कहा है १९३९ के बाद जो बन्दोवस्ती हुई है उसको आप नहीं मानेंगे। तो इस तरह का कोई टाइम लिमिट यहाँ भी कर देने से अच्छा होगा। गैर-मजरूआ जमीन का जो सर्वे हुआ है उसको भी आप खतम कर देते हैं। गैर-मजरूआ आम जमीन के अन्दर गोचर, कबरगाह इत्यादि भी है। इसको स्पेसिफिक क्यों नहीं कर देते हैं? साधारणतः ऐवसेंटी लैंडलोर्डिज्म की वजह से हजारों हजार बीघा जमीन को लगान से बचाने के लिए सर्वे में "गैर-मजरूआ आम" करके रख दिया गया है। अच्छा होता कि एक ऐमेण्डमेंट लाकर आप इसे स्पेसिफिक कर देते कि जो वाटर कोर्स को औब्सट्रक्ट करता है या जो गोचर जमीन है वह अलग रहे। ऐसा करने से बहुतसा झंझट खतम हो जायगा। मैं समझता हूँ कि राजस्व मंत्री मेरी बातों को समझें और जवाब दें।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में श्री नन्दकिशोर नारायण को जवाब दे देता हूँ। लैंड एनक्रोचमेंट ऐक्ट में गैर-मजरूआ जमीन का जो डेफिनिशन है उसकी तरफ नन्दकिशोर नारायण का ध्यान आकर्षित करता हूँ। जो जमीन जनता के उपयोग में है जैसे गोचर, क्रिमेशन ग्राउंड, ग्रेभ-यार्ड, टैंक, पाईन, बाँध, आहर, रोड वगैरह गैर-मजरूआ आम के अन्दर आता है।

श्री मुन्द्रिका सिंह—और गैर-मजरूआ खास ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—आप जानते हैं कि जमींदारी ऐबोलिशन के बाद गैर-मजरूआ खास जमीन सरकार की हो गयी और उसको हम हरिजन और ट्राइवल पीपुल के साथ बन्दोबस्त करने जा रहे हैं। तो आप क्यों उनका हक छीनना चाहते हैं ?

तो गैर-मजरूआ आम जमीन की कैटेगोरीज डेफिनिशन में दिया हुआ है। इसलिये मेरे दोस्त श्री नन्दकिशोर नारायण का डर अनफाउंडेड है।

अध्यक्ष—जो संशोधन दिया गया है उसको हमने नियम के प्रतिकूल माना है, इसलिये उत्तर देने का अधिकार नहीं दिया है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—मैं अपना संशोधन उठा लेना चाहता हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित दि बिहार लैंड एनक्रोचमेंट (अमेंडमेंड) बिल, १९५२, पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—खंड २

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

For the proposed sub-clause (*i*), the following be *substituted* :—

(*i*) For sub-clause (*f*) of clause (*ii*) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :—

"(*f*) Land over which the public or the community had any right of easement at the Commencement of this Act or may thereafter acquire any right of easement".

अध्यक्ष—यह तो इस बिल के दायरे के बाहर की बात है।

वही है—"Land over which the public or community have got any right of easement."

इसलिये यह रिडण्डेंट है।

श्री रामनारायण चौधरी—हमलोग ऐसा चाहते हैं कि गैरमजरुआ जमीन जो दो तरह की हैं वह इसमें सम्मिलित हो जाय।

अध्यक्ष—इसपर मंत्री महोदय की क्या राय है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—एमेण्डमेंट अन्नेसेसरी है। हाउस में जो बिल पेश है उसके स्कोप के बाहर की चीज है।

अध्यक्ष—मैं जानना चाहता था कि इससे कोई फायदा हो सकता है या नहीं। लेकिन यह अनावश्यक है और इसलिए मैं इसको नामंजूर करता हूँ।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

That in place of the proposed clause (*iv*) the following be *substituted* :—

(*iv*) The expression "unauthorisedly occupies", unauthorised occupation" or unauthorisedly occupying", with its grammatical variations and cognate expressions means that act of any person in remaining in unauthorised occupation of any land which is public

property within the meaning of clause (*ii*) notwithstanding any contract expressed or implied, between him and the landlord or the owner of the land made after the commencement of this Act."

मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज प्रोस्पेक्टीव होनी चाहिए रिट्रोस्पेक्टीव नहीं होनी चाहिए। इसमें आफ्टर दी कमेंसमेंट आफ दिस ऐक्ट होना चाहिए।

मेरे कहने का मतलब है कि अगर १२ वर्ष से भी किसी पब्लिक पाथ वगैरह पर किसी आदमी ने कब्जा कर लिया है और उससे जनता को किसी किस्म का ओबस्ट्रक्सन है तो उसको ले लिया जाय लेकिन जिससे ओबस्ट्रकशन नहीं है उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसको प्रोस्पेक्टीव बनाने की जरूरत है, रिट्रोस्पेक्टीव बनाने की जरूरत नहीं है। इस बिल की यही मंसा होनी चाहिए।

श्री राम खेलावन सिंह*—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त, नन्दकिशोर बाबू के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह कैसे जाना जा सकता है कि कौन सी चीज पब्लिक प्रोपर्टी है इसे गौर करके समझना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि अगर रेकर्ड ऑफ राइट्स में गैर-मजरुआ आम लिखा हुआ है तो उसे पब्लिक प्रोपर्टी समझा जायगा। इसके अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं होगा जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि यह पब्लिक प्रोपर्टी है। इसीलिए मैं आप से कहना चाहता हूँ कि रेकर्ड ऑफ राइट्स में बहुत सी चीजें गलत भी रेकर्ड हो गयी हैं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट ऑफ ऑर्डर है कि रेकर्ड ऑफ राइट्स में गलत इन्ट्री हो गयी है इसके मोतल्लिक हमलोग यहाँ बोल सकते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष—इससे यहाँ कोई मतलब नहीं है।

श्री राम खेलावन सिंह—इसके लिए सिविल सूट्स भी हुए हैं। अदालत ने फैसला भी दे दिया है कि रेकर्ड ऑफ राइट्स में यह चीज गलत दर्ज हो गयी है। तो इसको अब क्या समझा जाएगा ? इसे पब्लिक प्रोपर्टी समझा जायगा या नहीं ?

अध्यक्ष—अगर आप यह कहते हैं कि रेकर्ड ऑफ राइट्स में रेकर्ड हुआ लेकिन पीछे साबित हुआ कि गलत रेकर्ड हुआ है तो वह कैसे गैरमजरुआ आम हुआ ?

श्री रामखेलावन सिंह—रेकर्ड ऑफ राइट्स में जो चीज दर्ज होती है उसके मुतल्लिक प्रिजम्पशन होता है कि यह ठीक है। वही मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ

* सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

कि अगर रेकर्ड आफ राइट्स में लिखी हुई चीज गलत साबित हो गई तो वह चीज इसमें आएगी या नहीं ?

अध्यक्ष—आप तो वकालत की दलील पेश कर रहे हैं उसको रेकर्डेड नहीं माना जायगा।

श्री रामखेलावन सिंह—इसी तरह से मैं एक और दूसरी चीज के बारे में कहना चहता हूँ कि जैसा कि पहले से कानून है एडवर्स पोजेशन के जरिए किसी का राइट एक्रू कर गया और अधिकार हो गया और इसके लिए पब्लिक की तरफ से मुकदमा हुआ कि यह पब्लिक प्रोपर्टी है और अदालत में इसका फैसला भी हो चुका कि जमीन पर प्राइवेट पर्सन का अधिकार हो गया तो अब उसका क्या स्थान होगा। इसे हम इस ऐक्ट के अनुसार ले सकते हैं या नहीं ? इसके अलावा अगर अदालत के जरिए किसी को अधिकार मिल गया और उसने उस जमीन को दूसरे को ट्रांसफर कर दिया या बेच दिया तो इसका क्या पोजिशन होगा और कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इन सब बातों पर विचार करना है।

दूसरी चीज यह है कि कंस्टिच्यूशन के अनुसार जब एक व्यक्ति को हक मिलता है और उसको आप छीनना चाहते हैं तो यह कंस्टिच्यूशन के बिलकुल खिलाफ है। जब किसी का हक किसी चीज पर हो गया और उच्चतम न्यायालय ने जब यह हक उसको दे दिया तो बिना कंपेन्सेशन दिए हुए आप उस चीज को नहीं ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह चीज इसमें आयगी या नहीं ? मेरा ख्याल है कि यह तमाम चीजें इसमें नहीं आ सकती हैं। अगर हम इस एक्ट के मुताबिक चलेंगे तो हम देखते हैं कि गाँव में उथल-पुथल मच जायेगा जिसे हमलोग शायद कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, एक्ट बनाते वक्त हमलोगों को सोचना चाहिए कि कितनी दूर तक इसका असर होगा। अगर कंस्टिच्यूशन या कानून के खिलाफ यह चीज हुई तो हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या नतीजा होगा।

दूसरी चीज लिमिटेशन के बारे में कहना है।

अध्यक्ष—इसके बारे में अभी आप नहीं कह सकते हैं।

श्री रामखेलावन सिंह—तो इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करके बैठ जाता हूँ।

श्री अबुल अहद महम्मद नूर*—जनाब स्पीकर साहेब, हमारे दोस्त श्री नन्दकिशोर नारायण जी ने जो तरमीम पेश की है उसकी मैं मुखालिफत करता हूँ। हमारे दोस्त ने जो तरमीम हाउस के सामने रखी है उस पर गौर करने से हमें मालूम होता है कि हमारे दोस्त इसको सैबोटेज करने के लिए तुले हुए हैं।

अध्यक्ष—ऐसा आप नहीं कह सकते हैं।

श्री अबुल अहद मोहम्मद नूर*—हम तो कोई नाजायज बात नहीं कहते हैं। इन्हों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। उस नोट ऑफ डिसेन्ट को पढ़ने और उनकी तरमीम को देखने से पता चलता है कि वे चाहते हैं कि इसे सेलेक्ट कमिटी में फिर भेज दिया जाय। इसके अलावे जो तरमीम इस सदन के सामने पेश है उसको देखने से पता चलता है कि वे इस बिल का असली मतलब ही खतम करना चाहते हैं।

राजस्व मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि जमींदारी उन्मूलन के कारण जमींदार लोग गैर-मजरुआ जमीन, कब्रिस्तान, मुर्दघटिया और गोचर जमीन जो आम लोगों के फायदे के लिए थी, उसे बन्दोबस्त कर रहे हैं और इस नजायज बन्दोबस्ती से गाँववाले परेशान हो गए हैं। इस नाजायज बन्दोबस्ती को रोकने और बन्दोबस्त की हुई जमीन पर कब्जा करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका असली मकसद यही है। हमारे दोस्त, नन्दकिशोर नारायण लाल बराबर इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल के मकसद को खतम कर दें। उनका जो नया अमेंडमेंट है उसका यह मकसद है, इस बिल के पास हो जाने के बाद जो बन्दोबस्ती हो उस पर यह लागू होगा। इस बिल को एक लिमिटेड पिरियड के लिए नहीं बनाया गया है और इसीलिए इस ऐक्ट का असर लिमिटेशन ऐक्ट पर भी पड़ता है। आज भी सूबे के अन्दर परती जमीन की बन्दोबस्ती हो रही है और १२ वर्ष पहले की तारीख में रसीद काट दी जाती है। इस चीज को रोकने और पहले की बन्दोबस्ती को रद्द करने के लिए यह बिल लाया गया है।

अध्यक्ष—कोर्ट ऑफ वार्डस की तरफ से भी अभी बन्दोबस्ती हुई है। क्या वह भी फरेब ही समझी जाएगी ?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—वहाँ फरेब नहीं हुआ है। वहाँ वाजिब बन्दोबस्ती हुई है।

---

* सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया है।

इस बिल की जो असली मंशा है यदि वह पूरा नहीं होगी तो इसको पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। लोग गरीब और मजदूरों की दुहाई देकर इस बिल को पास नहीं करना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनका गला काटना चाहते हैं। गरीब लोगों के पास रुपया कहाँ है जो वे जमीन की बन्दोबस्ती लेंगे। अगर किसी ने ली भी होगी तो केवल घर बनाने के लिए ली होगी। लेकिन धनी लोगों ने तो सौ-सौ बीघे की बन्दोबस्ती ली है या जमींदारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम फरजी बन्दोबस्ती कर दी है। आप गरीब के नाम पर इस बिल को पास होने से रोक कर उनको एक्सप्लाएट करना चाहते हैं। एक दिन इसके रुकने से उधर लाखों रुपये की बन्दोबस्ती रोजाना हो रही है और जमींदार रुपया बना रहे हैं। इसको रोकने से गरीब लोगों को बहुत नुकसान होगा। हम हुजूर से अर्ज करेंगे कि यह अमेंडमेंट इस बिल के मेरी प्रिंसिपल को व्यायोलेट करता है और इसे खतम कर देने की गरज से पेश किया गया है।

अध्यक्ष—कोई आदमी विरोध भी कर सकता है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—यह संशोधन इतना खराब है, हुजूर, कि इससे रैयतों को सिवाय नुकसान के फायदा नहीं हो सकता है। इसी वजह से मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि इसको पास नहीं किया जाय। उसीके लिए मेरे दोस्त नन्दकिशोर बाबू अपील कर रहे हैं कि गरीब मजदूरों के नाम पर जल्द-से-जल्द इसको पास होने दिया जाय ताकि गरीब देहात के लोगों को फायदा हो सके।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—जो मेरे दोस्त नूर साहब ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री नन्दकिशोर नारायण—मुझे अफसोस है कि सरकार ने मेरी बातों का ख्याल नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इस पर फिर से सोचेगी। दूसरी बात यह है कि जिन बातों को हमारे दोस्त नूर साहब ने कहा है मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि ऐसी बातें वे बराबर कहा करते हैं। आखिर तो उनको कुछ कहना है। मुझे अफसोस है कि हमारी उन बातों पर सरकार का ख्याल नहीं गया।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो बात नन्दकिशोर बाबू एक बार कह चुके हैं उसको वह दुहरा नहीं सकते हैं। हमने खफीफ बात करके अपनी बहस इस लिये खतम कर दी ताकि उनको मौका नहीं मिले।

श्री नन्दकिशोर नारायण—नूर साहब ने कहा है कि गरीबों के नाम पर इस तरमीम को छोड़ दिया जाय। मैंने इस बिल में तरमीम करने को इसलिये कहा था कि देहातों में बहुत से किसान और छोटे-छोटे मजदूर रहते हैं जिनको ऐसी जमीन में मकान हो सकता है। नूर साहब के ऐसे आदमी के पास कलक्टर साहब कभी नहीं जायेंगे। मगर गरीबों की झोपड़ी हटा दी जायगी। अगर सरकार हमारे संशोधन पर आगे विचार करने को तैयार नहीं है तो मैं अपना संशोधन उठा लेता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस हुआ।

श्री प्रभुनाथ सिंह—समय बचाने के लिये अच्छा होगा कि अपने बाकी संशोधनों को श्री नन्दकिशोर नारायण लाल मंत्री महोदय से दिखला लें और जिसको मंत्री महोदय कहें उसी को पेश करें। हर संशोधन पर इतना समय लगाने की क्या जरूरत है। अब ४ बज रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। अब इस काम में समय लगाने से दिक्कत होगी।

अध्यक्ष—माननीय सदस्यों पर मैं उतना ही बन्धन लगाना चाहता हूँ जितना आवश्यक है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री से जाकर बातें कर लें, यह मेरे आदेश की बात नहीं है।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित खंड २ इस विधेयक का अंग बने :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, कल नॉन-अफिसियल बिजिनेस का दिन है। चूंकि ऑफिसियल बिजिनेस के दिन में माननीय सदस्यों को नॉन-अफिसियल रिजोल्यूशन्श डिसकस्स करने का मौका दिया गया है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि कल हमको भी इस बिल को खतम करने का मौका दिया जाये।

अध्यक्ष—यह तो कल की बात है। अगर माननीय सदस्य ऐसा करना नहीं चाहेंगे तो ४ बजे के बाद हमलोग बैठकर इस बिल को खतम कर सकते हैं।

सभा शुक्रवार, तिथि ४ जुलाई, १९५२ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई।

बी०ग०प्रेस रांची (एल०ए०) ४—७९५+२५—२६-६-१९५३—य० ध० मिश्र।